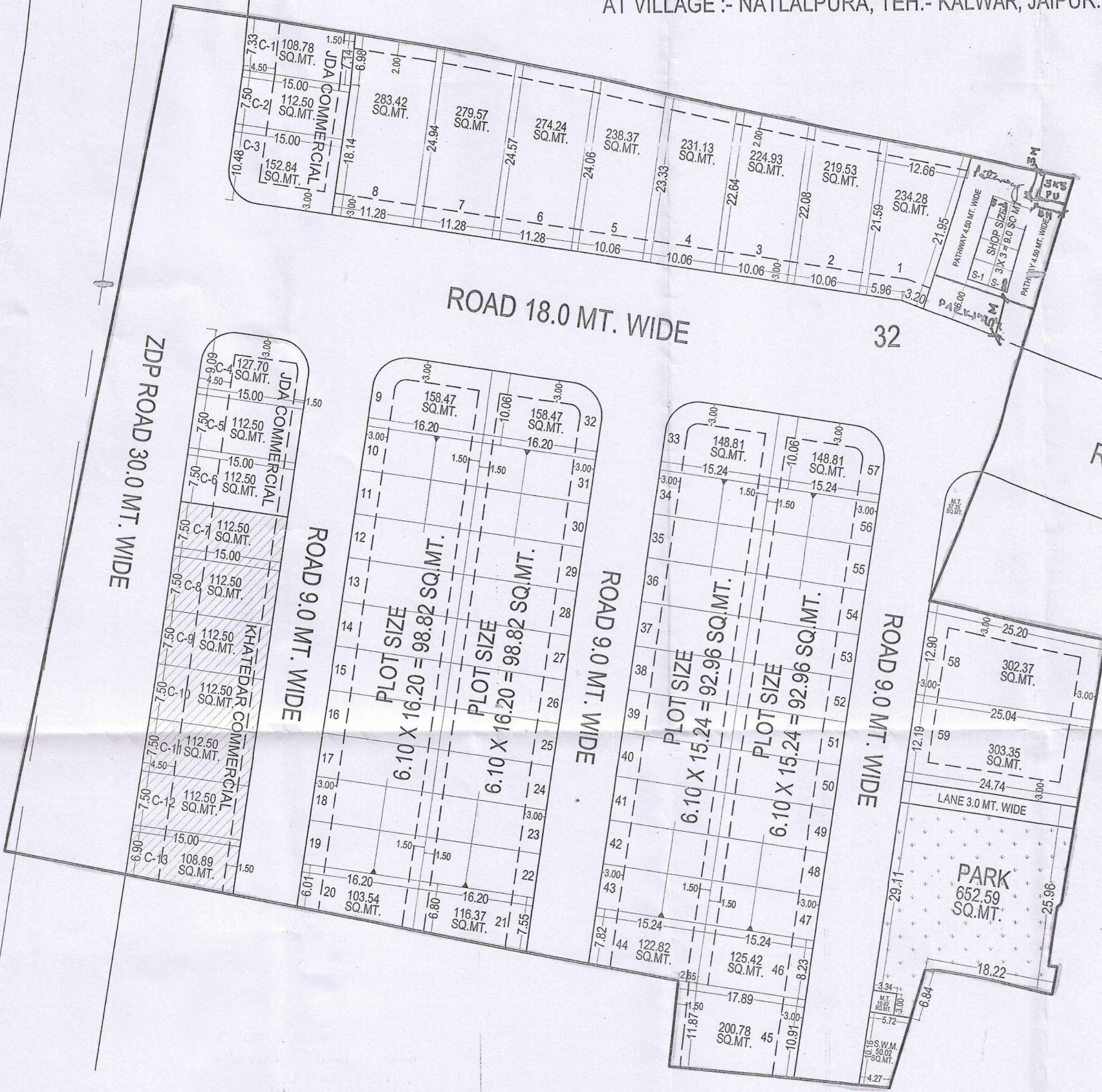
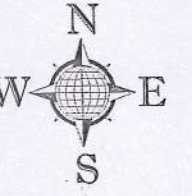


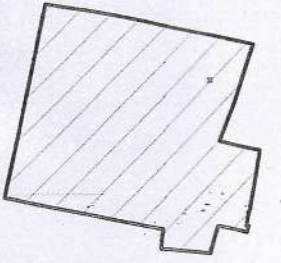
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"HAPPY RESIDENCY"
IN KHASRA NO.- 32.
AT VILLAGE :- NATLALPURA, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

1519
B
8.2.25.



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार नूतन उपखण्ड
आवासीय भूखण्डों की निर्माण विधि :-
1 कुल आवासीय भूखण्ड = 58
2 कुल वास्तविक भूखण्ड = 5-10
3 खलेदार का वाणिज्य क्षेत्र = C-1 TO C-13 (67 PLOT)
4 लेडींग का वाणिज्य क्षेत्र = C-1 TO C-6 (06 PLOT)

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	7711.09	59.08 %
2.	RETAIL	90.00	02.59 %
	PARKING	247.93	
(A)	TOTAL = (1+2)	8049.02	61.67 %
3.	PARK	652.59	05.00 %
4.	S.W.M.	50.02	0.38 %
5.	MOBILE TOWER	47.27	0.36 %
6.	PU (TOILET)	10.01	0.08 %
7.	ROAD	4242.88	32.51 %
	TOTAL = (3 TO 7)	5002.77	38.33 %
	SCHEME AREA	13051.79	100.00 %
(B)	1. KHATEDAR COM.	783.89	25.00 %
	2. J.D.A. COM.	726.82	23.18 %
	3. ZDP ROAD	1624.50	51.82 %
	APPLIED AREA	3135.21	100.00 %
	GRAND TOTAL (A+B)	16187.00 SQ.MT.	

योजना की भूमी की वास्तुशास्त्रीय अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं नोड के पर भूमि का प्रमाणिकरण सेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जेन-
बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:- PROPOSED LAYOUT PLAN OF "HAPPY RESIDENCY"
IN KHASRA NO.- 32
AT VILLAGE :- NATLALPURA, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

जोन संख्या = 12
पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक अति.सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT:- Cad Max PROJECTS (P) LTD.
301, Prism Tower, Opp. Police Headquarter,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR (RAJ) 302015
Ph: 9414151111, Mob: 91-9829045031
Website: www.cadmaxpro.com, e-mail: info@cadmaxpro.com

आवृत्ति रजिस्ट्रार मानचित्र दिनांक 20/01/2025 के अनुसार
योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 11.12.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नोड के पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 21, 22, 23, 41, 42, 44, 45, 47, 48, कुल भूखण्ड 09 कुल क्षेत्रफल 1009.45 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 369 वीं बैठक दिनांक 08.10.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-2 एच.आई.जेड दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

जयपुर
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर
बी.पी.सी. (एल.पी.)